रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 1973/कार्तिक 29, 1895

No. 275] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 1973/KARTIKA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 20th November 1973

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 151/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.

[No. 199/73]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूना

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1973

सा० का० नि० 501 (अ).—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 151/71—केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971 को निम्नलिखित करती है ।

[सं० 199 / 73]

ज० प्र० कौशिक, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973